

ओडिशा का पड़ोसी राज्यों से सीमा को लेकर विवाद, एनसीएसटी का राज्य सरकार को निर्देश- आदिवासियों का रखें छ्याल

JAGRAN NEWS

Publish Date: Mon, 20 Mar 2023 09:13 AM (IST)

Updated Date: Mon, 20 Mar 2023 09:13 AM (IST)



ओडिशा का झारखंड छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे कुछ गांवों को लेकर विवाद है। ऐसे में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) राज्य सरकार से इन गांवों में रहने वाले आदिवासियों की बुनियादी सुविधाओं का

[होम](#)[ताजा](#) [राष्ट्रीय](#) [स्पेशल](#) [शेयर बाजार](#) [प्राइम न्यूज़](#) [पॉलिटिक्स](#) [दुनिया](#) [वेब स्टोरीज](#) [मनोरंजन](#) [बिजनेस](#)**जागरण फोकस**

► IPL 2023 जी20 भारत क्या खटीदें नई दिलीज गेमिंग न्यूज़ विश्वास न्यूज़



जनजातीय अधिकारों के लिए सर्वोच्च पैनल ने मानवाधिकार कार्यकर्ता राधाकांत त्रिपाठी द्वारा 14 मार्च को दायर याचिका का संज्ञान लेते हुए 15 दिनों के भीतर विस्तृत जवाब मांगा।

पुंछ में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुआ ओडिशा का लाल, सात महीने की बेटी के सिर से ऊंठा पिता का साया

[यह भी पढ़ें](#)



आंध्र प्रदेश के कई गांवों के साथ ओडिशा का सीमा विवाद

ओडिशा का पड़ोसी आंध्र प्रदेश के साथ 64 गांवों पर सीमा विवाद है, जिसमें कोरापुट जिले में 22, गंजाम जिले में 21, गजपति में 16 और रायगढ़ा जिले में पांच गांव शामिल हैं। कोरापुट जिले के कुल 22 गांवों में से 21 पर विवादों को हल नहीं किया जा सका क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च, 2006 में यथास्थिति प्रदान की थी।

पश्चिम बंगाल संग भी सीमा विवाद को लेकर उलझा ओडिशा

इसी तरह, ओडिशा का पश्चिम बंगाल के साथ लगभग 38 गांवों में सीमा विवाद है, जिसमें 35 बालासोर और थोष तीन गांव मयूरभंज जिले में हैं। राज्य के क्योंझर जिले में कम से कम पांच गांवों- लितुर, पुरुषोत्तमपुर, कांकड़पत, जगन्नाथपुर और चंपुआ का झारखंड के साथ सीमा विवाद है। ओडिशा सरकार ने स्वीकार किया कि राज्य की सीमा पर सौ से अधिक गांवों की सीमाएं निर्धारित नहीं की जा सकीं हैं।

[होम](#)[ताज़ा](#) [राष्ट्रीय](#) [स्पेशल](#) [शेयर बाजार](#) [प्राइम न्यूज़](#) [पॉलिटिक्स](#) [दुनिया](#) [वेब स्टोरीज](#) [मनोरंजन](#) [बिजनेस](#)**जागरण फोकस**

► IPL 2023

जी20 भारत

क्या खटीदें

नई दिलीज

गेमिंग न्यूज़

विश्वास न्यूज़



त्रिपाठी ने सीमावर्ती राज्यों की उदासीनता और लापरवाह रखैये के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों के बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित होने का आरोप लगाते हुए स्थायी समाधान के लिए आयोग के हस्तक्षेप की मांग की है। ओडिशा सरकार के पास अपनी सीमा पर विवादित गांवों का कोई उचित रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड और सीमांकन अभी किया जाना बाकी है।

क्या बरगढ़ में छिपा है गुड़ मुस्लिम? यूपी एसटीएफ की टीम ने किया ओडिशा का दौरा, इस शख्स से की पूछताछ

[यह भी पढ़ें](#)

एनसीएसटी से जांच की गुहार

त्रिपाठी ने एनसीएसटी से इस मामले पर गंभीरता से विचार करने और समयबद्ध तरीके से जांच कराने का आग्रह किया ताकि ओडिशा में गरीबी से जूझ रहे एससी, एसटी बहुल क्षेत्र में हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जा सके। याचिकाकर्ता ने पूर्व में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार सीमावर्ती गांवों के मताधिकार अधिकारों को सख्ती से सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था क्योंकि सीमा विवादों के कारण भी इसका उल्लंघन किया गया है।

पूर्व सांसद त्रिलोचन कानूनगो का निधन: 83 साल की उम्र में ली अंतिम सांस,
राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर

[यह भी पढ़ें](#)

सीमावर्ती गांवों के निवासियों को मिले बुनियादी सुविधाएं

उन्होंने आयोग से सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभ के साथ-साथ सीमावर्ती गांवों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं और बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्य करने का भी अनुरोध किया। त्रिपाठी ने एनसीएसटी से अधिकारियों की एक टीम द्वारा मामले की विस्तार से जांच करने और पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिवों को जल्द से जल्द मुद्दों को हल करने का निर्देश देने का भी आग्रह किया है।